H52539

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No .... सी-6/ वि०/ 543 / OA.N- 806/2019/2020 **Dated ----** 3-9-2020

To,

The Registrar,
Hon'ble, National Green Tribunal,
Copernicus Marg,
New Delhi- 110001

Sub: Submission of Compliance report in O.A. no. 806/2019 in the matter of Anurag Sharama Vs. State of Uttar Pradesh:

Sir,

In compliance to the order dated 21.05.2020 passed by Hon'ble NGT, New Delhi in O.A. no. 806/2019 in the matter of Anurag Sharma Vs. State of Uttar Pradesh the compliance report is enclosed herewith with annexure.

It is requested that the compliance report may be presented before the Hon'ble Tribunal.

Yours Sincerely,

Enclosures: As above

(Ashish Tiwari)
Member Secretary

Copy to:

Shri Pradeep Misra Advocate, Supreme Court, B-235, Sector-XIX, Noida District-GB Nagar, 201301 for information and further necessary action.

Member Secretary

Compliance Report of Order Dated 21.05.2020 passed by Hon'ble NGT, New Delhi in O.A. no. 806/2019 Anurag Sharma Vs. State of Uttar Pradesh:

The relevant portion of the Hon'ble NGT, New Delhi order in OA no. 806/2019 dated 21.05.2020 is as follows:-

".....In view of the above, the State PCB may furnish a report of further action in the matter of recovering compensation for the period of illegal drawl of ground water and violation of other environmental norms before the next date by e-mail at judicialngt@ gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF....."

In compliance of aforesaid order dated 21.05.2020, The Action Taken Report is given below-

1. That, the Uttar Pradesh Pollution Control Board has issued following directions under section 33A of Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 dated: 01.06.2020 against M/s Malik Beverages, Malik Tola, Sagri, Azamgarh-

   (A)That on the day of inspection dated 19.05.2020, the unit found closed. The status quo shall be maintained.

   (B)That prior consent under section 25/26 of Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and section 21/22 of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 shall be obtained before start of operation.

   Copy of the said direction dated 01.06.2020 is **appended as Annexure-01.**

2. That, the Uttar Pradesh Pollution Control Board vide it's letter dated 01.06.2020, requested to Regional Director, Central Ground Water Authority (CGWA), Lucknow, for imposition of compensation with regards to illegal drawl of ground water.

   Copy of the said letter dated: 01.06.2020 is **appended as Annexure-02.**

3. That, the Uttar Pradesh Pollution Control Board vide it's letter dated: 14.08.2020 has imposed the Environmental Composition of Rs. 16.35 Lacs (Sixteen Lacs Thirty Five Thousand Only) against the said unit.

   Copy of the said letter dated: 14.08.2020 is **appended as Annexure-03.**

2/9/2020
C. B. Verma
Technical Consultant
UPPCB, C-6

2/9/2020
ए० के० तिवारी
मुख्य पर्यावरण अधिकारी
वृत्त-6
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
लखनऊ

Annexure No-1

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या H49493 सी-6/ .... -543/मलिक बेवरेजेज/AZM/2020 दिनांक 1/6/2020
पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स मलिक वेबरेजेज,
मलिक टोला, सगढ़ी,
आजमगढ़।

यह कि मेसर्स मलिक वेबरेजेज, मलिकटोला, आजमगढ़ जिसे आगे उद्योग कहा जाएगा। उद्योग में कच्चे माल के रूप में भू-जल का प्रयोग करके आर0ओ0 प्लाण्ट के द्वारा पेयजल के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है, जो कि जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मेसर्स मलिक वेबरेजेज, मलिकटोला, आजमगढ़ का पुनः निरीक्षण बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारी, आजमगढ़ द्वारा दिनांक 19.05.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि लॉक डाउन होने के कारण दिनांक 23.03.2020 से बन्द है। निरीक्षण के समय यह पाया गया कि उद्योग में कलेक्शन टैंक का निर्माण हो गया है। उद्योग में अन्य कार्य हेतु सामान जैसे कार्बन फिल्टर इत्यादि आ चुका है लेकिन लॉक डाउन होने के कारण निर्माण कार्य अभी नहीं किया जा रहा है।

यह कि उद्योग में उत्पादन कार्य मई 2019 से प्रारम्भ किया गया है। उद्योग बोर्ड से बिना सहमति प्राप्त किये संचालित रहा है।

यह कि उद्योग की स्थापना बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये की गई है परन्तु उद्योग द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र में निहित शर्तों का अनुपालन नही किया जा रहा है।

यह कि उद्योग के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा-33ए के अन्तर्गत दिनांक 06.01.2020 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उद्योग द्वारा उक्त कारण बताओ नोटिस का उत्तर/स्पष्टीकरण दिया गया है, जिसमें उल्लेख है कि लॉक डाउन समाप्त होने के बाद ई0टी0पी0 का निर्माण करके जल एवं वायु सहमति प्राप्त करने के पश्चात् उद्योग का संचालन किया जायेगा। उद्योग का उत्तर/स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं है।

यह कि उद्योग के विरूद्ध माननीय एन0जी0टी, नई दिल्ली में ओ0ए0 संख्या 806/2019 अनुराग शर्मा बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के सुसंगत अंश निम्नवत् है :-

In view of the above, the State PCB may furnish a report of further action in the matter of recovering compensation for the period of illegal drawl of ground water and violation of other environmental norms before the next date by e-mail at judicialngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

List again on 14.09.2020.

अतएव जनहित एवं जन स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए यह आवश्यक है कि उद्योग को निर्देश दिये जायें।

अतः उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उद्योग के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथासंशोधित की धारा-33ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश जारी किये जाते है:-

1. यह कि दिनांक 19.05.2020 को निरीक्षण के समय उद्योग बन्द पाया गया। उक्त स्थिति यथावत रखी जाये।
2. यह कि उद्योग का पुनः संचालन जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा-25/26 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा-21/22 के अन्तर्गत सहमति प्राप्त करके ही किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त-6)

प्रतिलिपिः-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1 जिलाधिकारी, आजमगढ़।
2 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़।
3 अधिषाषी अभियन्ता,उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, आजमगढ़।
4 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आजमगढ़ को इस निर्देश के साथ कि उद्योग को जारी बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करायें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त-6)

-2-

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.com - Web Site: www.uppcb.com

Annexure No-2

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No. 1449495 /C-6/०स्था-543/O.A.N-806/2020 Dated 1-6-2021

मा0 एन0जी0टी0 प्रकरण

सेवा मे,

रीजनल डायरेक्टर,
केन्द्रीय भू–गर्भ जल बोर्ड,
राम राम बैंक चौराहा, अलीगंज,
लखनऊ।

विषय : माननीय एनजीटी द्वारा ओ0ए0 नम्बर– 593/2017 में पारित आदेश दिनांक 28.08.2019 के अनुपालन में मेसर्स मलिक वेबरेजेज मलिकटोला, सगड़ी, आजमगढ़ द्वारा अवैध भू–जल दोहन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर वसूली किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0सं0–806/2019 अनुराग शर्मा बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के सुसंगत अंश निम्नवत् है :–

In view of the above, the State PCB may furnish a report of further action in the matter of recovering compensation for the period of illegal drawl of ground water and violation of other environmental norms before the next date by e-mail at judicialngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

List again on 14.09.2020.

अग्रेतर मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0–593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में दिनांक 28.08.2019 को पारित आदेश के सुसंगत अंश निम्नवत् हैं :–

For industrial ground water use, where metering is not available, water consumption may be assumed as per the consent conditions. Further, where in case industry is operating without consent, water consumption may be calculated base on the plant capacity (on the recommendation of SPCB/PCC, if required). SPCB/PCC may bring the issue of illegal extraction of ground water in industries in to the notice of CGWA for appropriate action by CGWA.

मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 नम्बर–593/2017 में पारित आदेश दिनांक 28.08.2019 के अनुपालन में उद्योगों द्वारा अवैध जल भू–जलदोहन किये जाने हेतु सी0जी0डब्लू0ए0 द्वारा समुचित कार्यवाही यथा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपण तथा वसूली अथवा अन्य विधिक कार्यवाही किया जाना है।

अतः उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण पर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें, जिससे मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित उपरोक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके।

भवदीय,

(एन0के0 चौहान)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी
वृत्त–6

प्रतिलिपिः

1. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आजमगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
वृत्त–6

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.com - Web Site: www.uppcb.com

Annexure No-3

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No. 152200 /सी-6/ सा०/543/0AN-806/2019/2020 Dated 19-8-2020

सेवा में,

मेसर्स मलिक वेबरेजेज,
मलिकटोला, सगड़ी,
आजमगढ़।

विषयः— <u>उद्योग के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।</u>

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्रांक एच.49417/सी–6/सा0–543/ओ0ए0नं0–806/2019/2020 दिनांक 28.05.2020 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा उद्योग के विरूद्ध 16.35 लाख पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस प्रेषित किया गया हैं। उक्त, कारण बताओ नोटिस के संबंध में उद्योग ने अपने पत्र दिनांक 29.06.2020 उत्तर/स्पष्टीकरण दिया गया है। जिसमें उल्लेख है कि कारण बताओ नोटिस में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने का गुणांक वास्तविकता में त्रृटिपूर्ण एवं अत्यधिक अधिक है। उद्योग द्वारा निम्नानुसार उद्योग के बन्दी रहने की अवधि का विवरण दिया गया है :–

- साप्ताहिक बन्दी–96
- राजपत्रित अवकाश–30
- ऑपरेटर की अनुपस्थिति/शट डाउन–120

इस प्रकार कुल दिन 96+30+120= 246 दिन

उद्योग द्वारा यह भी अनुरोध किया गया है कि उद्योग की प्रकृति को देखते हुए फॉमूले में R को 250 ने लेकर 100 लिया जाये क्योंकि उद्योग द्वारा केवल सहमति नही ली गई है। उद्योग में किसी प्रकार का उत्र्सजन नहीं हुआ है। उद्योग से जनित अल्प प्रदूषित उत्प्रवाह में केवल सस्पेन्डेट सॉलिड की मात्रा ही ज्यादा होती हैं क्योंकि ग्राउन्ड वाटर को फिल्टरेशन के पश्चात निस्तारित किया जाता है।

उद्योग द्वारा बोर्ड से बिना सहमति प्राप्त किये दिनांक 01.05.2019 से दिनांक 23.03.2020 तक उत्पादन किया गया है। उक्त अवधि में उद्योग द्वारा 246 दिन उद्योग के बन्दी रहने की अवधि दर्शाया गया है। चूंकि उद्योग पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति सहमति न होने के कारण अधिरोपित की जा रही है। अतः उक्त बन्दी अवधि डिफाल्टर अवधि से हटाया जाना उचित नहीं होगा।

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.com - Web Site: www.uppcb.com

अतः उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए सक्षम अधिकारी के अनुमोद्नोपरान्त उद्योग के विरूद्ध रू0 16.35 लाख (रू0 सोलह लाख पैतीस हजार मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाता है। उद्योग को निर्देशित किया जाता है कि बोर्ड द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू0 16.35 लाख (रू0 सोलह लाख पैतीस हजार मात्र) उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैक आफ इण्डिया, विभूति खण्ड,गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या–701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड UBINO570150 में विलम्बतम 15 दिन में जमा किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

भवदीय

(ए0के0 तिवारी)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6)

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, आजमगढ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. रीजनल डायरेक्टर, केन्द्रीय भू–गर्भ, जल बोर्ड, राम–राम बैंक चौराहा, अलीगंज, लखनऊ को इस कार्यालय के पत्रांक–एच 495/सी–6/सा0–543/ओ0ए0 नं.–806/2020 दिनांक 01.06.2020 के सन्दर्भ मे आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आजमगढ़ को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6)